न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–239/16(आरसीएमएस नं. 2016/00060)

01 .अली मोहम्मद पुत्र श्री खूटी, जाति मेव, निवासी बन्दापुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

01. नूरदीन पुत्र जगरूप कौम मेव, निवासी बन्दापुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

—— असल रेस्पोडेन्ट

02. मु. मौहम्मद बेवा खूटी,
03. दीनू पुत्र खूटी,
04. चन्दर पुत्र खूटी,
05. चालवा पुत्र खूटी,
06. इस्माईल पुत्र खूटी, समस्त जतियान मेव, निवासीगण बन्दापुर तहसील तिजारा जिला अलवर

——औपचारिक रेस्पोडेन्ट

07. मु. फजरी बेवा कमरूदीन,
08. रतीमन,
09. बिशमिल्ला पुत्रीयॉ कमरूदीन,
10. उमरसैद,
11. जमशैद,
12. शुभराती पुत्रान कमरूद्दीन,
13. असरूदीन पुत्रान जगरूप,
14. नरूस पुत्र जैनू,
15. जुहरदीन,
16. फज्जर,
17. सुबेदीन,
18 रति खॉ,
19. फकरूद्दीन पुत्रान चावखॉ जाति मेव निवासी बन्दापुर, तहसील तिजारा जिला अलवर।

निर्णय

दिनांकः 08.08.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा अलवर के आदेश दिनांक 17.06.2016 (प्रकरण संख्या 9/98) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे एक अपील ग्राम पंचायत जो जोडिया के निर्णय दिनांक 22.02.1985 बाबत नामान्तरकरण संख्या 60 ग्राम बन्दापुर पंचायत समिति तिजारा का अपास्त करने बाबत पेश की जिसे

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को सुनने के उपरान्त दिनांक 17.06.2016 से नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 22.02.1985 पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.1985 को निरस्त किया जाकर प्रकरण विधि विरूद्ध तौर पर तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया है। उन्हाने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का पूर्ण रूप से अवलोकन न कर उक्त अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 22.02.1985 जो कि आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 14 खसरा नम्बर 387 जो कि राजस्व रिकार्ड में खूटी पुत्र चन्दर 1/2 हिस्सा, फूल खॉ पुत्र मौजी 1/2 हिस्सा तथा खाता संख्या 39 खसरा नम्बर 21, 22, 97, 98, 99, 174, 180, 181, 182, 289, 290 एवं खाता संख्या 60 में खसरा नम्बर 115, 162, 167, 168, व 330 जो कि फूल खॉ पुत्र मौजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज था तथा फूल खॉ के स्वर्गवास के उपरान्त विरासत के आधार पर चॅूकि फूल खॉ नालौलाद फौत हुआ था इसलिये उसके भाई बन्धु खूटी के नाम उसके हिस्से की आराजी भूमि का नामान्तरकरण संख्या 60 विरासत के आधार दिनांक 22.02.1985 को ग्राम पंचायत जोडिया पंचायत समिति तिजारा अलवर द्वारा सम्पूर्ण जांच करने के उपरान्त समस्त औपचारिकताये करने के उपरान्त नियमानुसार खोला गया था जो कि पूर्णतया सत्य एवं सही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य या ऐसा काई भी साक्ष्य पेश नही किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 या उसके पूर्वज मलुक सिंह के वंशज या वारिसान है तथा न ही उपरोक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि पर उनका कोई कब्जा है एवं न ही वे कब्जा काश्त है एवं न ही उपयोग उपभोग कर रहे है, ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य ही पेश किया है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 330, 289, 290 जो कि वर्ष 1996 में ही अवाप्त हो चुके है तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि जमाबन्दी में रीको औधोगिक के नाम का अंकन है तथा खसरा नम्बर 21, 22, 97, 98, 99, 162, 167, 168, 174, 387 जिसका कि राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी स्व. खूटी के अन्य वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है तथा उक्त आराजी कृषि भूमि को केन्द्रीय अवाप्त भूमि अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 के तहत धारा 4(1) राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 07.02.2012 को की गई कार्यवाही तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में धारा 5(ए) के तहत मौका रिपोर्ट एवं धारा 6 की अधिसूचना व 6(2) के तहत पब्लिक नोटिस एवं धारा 9(1)(3) के तहत जारी तामील इत्यादि की कार्यवाही में भी आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐतराज नही किया है तथा उसके उपरान्त धारा 12(1) व 2(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवार्ड

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

को प्रति जरिये नोटिस जारी की गई तथा दिनांक 22.03.16 को अवार्ड जारी कर उसकी सूचना दिनांक 22.04.16 को अधिनियम की धारा 11 के तहत जारी कर दी गई है उसमें भी आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट या अन्य किसी के द्वारा भी आज दिनांक तक कोई आपत्ति दर्ज नही की गई है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों को नजरअन्दाज कर उक्त आदेश दिनांक पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.06.2016 को अपास्त किया जाकर एवं ग्राम पंचायत जोडिया के निर्णय दिनांक 22.02.1985 बाबत नामान्तरकरण संख्या 60 ग्राम बन्दापुर तहसील तिजारा को यथावत रखा जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 12 से 18 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 60 में अंकित आराजी मृतक फूल खॉ पुत्र मौजी की खातेदारी की भूमि थी जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट खातेदार के वारिसान है लेकिन ग्राम पंचायत ने पक्षकारान को बिना सुने ही नामान्तरकरण संख्या 60 विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार किया है जो खारिज योग्य है। उन्होने कथन किया है कि ग्राम पंचायत को सरसरी जांच द्वारा मृत फूल खॉ के वारिसान की जांच करनी चाहिये थी और उसके पश्चात् अपना निर्णय पारित करना चाहिये था लेकिन ग्राम पंचायत ने मृतक फूल खॉ के वारिसान की कोई जांच नही की और ना कोई किसी प्रकार के बयान लिये और ना ही अन्य किसी प्रकार से भी वारिसान की जानकारी हासिल की जिससे कि यह साबित होता हो कि मृतक फूल खॉ का वारिस केवल अपीलान्ट एवं औपचारिक रेस्पोडेन्ट के पूर्वज खूटी ही हो। उन्होने यह भी कथन किया है कि ग्राम पंचायत को सर्वसम्मति से नामान्तरकरण का फैसला करना चाहिये था केवल सरपंच ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण फैसल करने का कोई हक नही है और ग्राम पंचायत का फैसला कानून के विपरित है व अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 12 से 18 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट को ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 22.02.1985 की सर्वप्रथम जानकारी 02.07.1987 को हुई जब अपीलान्ट के पूर्वज ने गांव में ऐलानियॉ तौर पर कहा कि मृतक फूलखॉ का समस्त आराजी का नामान्तरकरण उसने अपने पक्ष में स्वीकार करा लिया है तथा आराजी पर जबरन कब्जा करने की कोशिष की, इससे पूर्व रेस्पोडेन्ट को कोई जानकारी नही थी जिसे पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 60 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रवली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 330, 289, 290 जो कि वर्ष 1996 में ही अवाप्त हो चुके है तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि जमाबन्दी में रीको औधागिक के नाम का अंकन है तथा आराजी खसरा नम्बर 21, 22, 97, 98, 99, 162, 167, 168, 174, 387 का केन्द्रीय अवाप्त भूमि अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 के तहत धारा 4(1) राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 07.02.2012 को की गई कार्यवाही तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में धारा 5(ए) के तहत मौका रिपोर्ट एवं धारा 6 की अधिसूचना व 6(2) के तहत पब्लिक नोटिस एवं धारा 9(1)(3) के तहत जारी तामील तथा धारा 12(1) व 2(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवार्ड की प्रति जरिये नोटिस जारी होना तथा दिनांक 22.03.16 को अवार्ड जारी कर उसकी सूचना दिनांक 22.04.16 को अधिनियम की धारा 11 के तहत जारी करने का कथन कर अपीलान्ट आ रहे है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 को पारित किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व उक्त आराजी के अधिग्रहण सम्बन्धी तथ्ये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही आ पाये है लेकिन चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 द्वारा प्रकरण तहसीलदार तिजारा रिमाण्ड किया गया है जहॉ रिमाण्ड आदेश की पालना में तहसीलदार तिजारा द्वारा कार्यवाही की जानी है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तहसीलदार तिजारा को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के अवाप्ति सम्बन्धी तथ्यों के मद्देनजर एवं आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड की विस्तृत रूप से जांच की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 में विधि सम्मत कार्यवाही की जावें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर